ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

Corrigendum

The 12th October, 1987

In Haryana Government Animal Husbandry Department's notification bearing No. 1564-AH-3-87/6318, dated 1st April, 1987 against serial No. 19 read CVH, Nizampur (Mohindergarh) instead of CVH Nizampur (Faridabad).

Chandigarh, dated
The 5th October, 1987

R. P. SHARMA,
Deputy Secretary to Government, Haryana,
Animal Husbandry Department.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 29 सितम्बर, 1987

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/233-87/38413.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० इण्डो स्वीस टाईम लि०, गुड़गांव, के श्रमिक श्री भगवान, पुत्र श्री रामकिशन यादव, मार्फत राव पृथ्वी सिंह यादव, लेबर ला एडवाईजर, शान्ति नगर, नजदीक नैशनल हाईवे नं० 8 गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री भगवान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/यमुनानगर/61-87/38420.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० (1) सचिव, हरियाणा, राज्य बिजली बोर्ड चण्डीगढ़ (2) चीफ इन्जि०, हाईडल, प्रोजैक्ट, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, गोविन्दपुरी, यमुनानगर (3) कार्यकारी अभियन्ता, चैनल नं० 2, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, भूड़कलां, डा० खिजराबाद, जिला अम्बाला, के श्रमिक श्री सतपाल, पुत्र श्री कश्मीरा सिंह, मार्फत डा० सुरेन्द्र कुमार शर्मा महा मन्त्री मैटल वर्कस यूनियन, रजि० ब्राह्मण धर्मशाला, रेलवे रोड़, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44) 84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सतपाल की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर० एस० अग्रवाल,
उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।